न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/47/2025

रणजीत सिंह पुत्र श्री नारायन सिंह निवासी ग्राम बसुआ पोस्ट बांसीखुर्द तहसील व जिला भरतपुर

........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य/सतर्कता अनुभाग कलै0 भरतपुर

...........रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 12.09.2025

अपीलार्थी रणजीत सिंह पुत्र श्री नारायन सिंह निवासी ग्राम बसुआ पोस्ट बांसीखुर्द तहसील व जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य/सतर्कता अनुभाग कलै0 भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 23.06.2025 से लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/22/755 दिनांक 01.09.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी सामान्य/सतर्कता अनुभाग कलै0 भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर का जबाब पत्र क्रमांक सतर्कता/सू.का.अ/2025/3821 दिनांक 09.09.2025 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी के जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तारीखी 22.04.2025 सतर्कता अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर में दिनांक 24.04.2025 को प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्रांक 1535 दिनांक 06.05.2025 से परिवाद/प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाकर इनकी समस्या

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

का समाधान कराये जाने हेतु तहसीलदार भरतपुर को भिजवाया गया है। प्रार्थी / अपीलार्थी समस्या के समाधान हेतु तहसील कार्यालय में सम्पर्क कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र तारीखी 22.04.2025 एवं आर.टी.आई प्रार्थना पत्र तारीखी 23.06.2025 का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों में एक समान बिन्दु अंकित किये हैं। उक्तानुसार प्रार्थना पत्रों के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर के जबाब एवं संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तारीखी 22.04.2025 पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु कार्यालय के पत्रांक सतर्कता / डीएमजेएस / 06 / 2025 / 1535 दिनांक 6.5.2025 से तहसीलदार भरतपुर को यह अंकित करते हुये प्रतिप्रेषित किया गया है कि परिवाद में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में जॉच / नियमानुसार कार्यवाही कर परिवादी की समस्या का गुणवत्तापूर्ण समाधान कराये जाने का श्रम करें।

लोक सूचना अधिकारी के जबाब से स्पष्ट है कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र तारीखी 22.4.25 पर की गई कार्यवाही से सुचित / अवगत नहीं कराया गया है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र / परिवाद तारीखी 22.04.2025 पर आप द्वारा क्या कार्यवाही की गई, यदि प्रार्थना पत्र पर आपके स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित न हो तो सम्बन्धित विभाग को भेजकर अपीलार्थी / प्रार्थी को की गई कार्यवाही से अन्दर 10 दिवस अवगत करावें। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलै0 भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की फोटोप्रति सहित) प्रेषित की जावे। निर्णय की एक प्रति प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलै0 भरतपुर एवं तहसीलदार भरतपुर को भेजकर लेख है कि सुचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों की सूचना आपके स्तर पर अपेक्षित न हो तो ऐसे प्रार्थना पत्रों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत सम्बन्धित विभाग को भिजवाकर प्रार्थी को भी सूचित किया जाना सुनिश्चित करें। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर